सामान्य

संख्याः 951/1(2)/2007-06(1)/33/2007

प्रेषक,

सी0 भाष्कर,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0,
देहरादून।

ऊर्जा अनुभाग–2, **देहरादूनः दिनांकः 24 अगस्त, 2007**

विषय– **वित्तीय वर्ष 2007–08 के लिये स्वीकृत आय–व्ययक के विरुद्ध धनराशि निर्गत करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 711/उपाकालि/उमप्र(वि0)/शासन बजट(07–08), दिनांक 09.08.2007 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला योजना/राज्य योजना के अन्तर्गत परियोजनाओं के अर्थिंग, एल.टी. सुदृढीकरण इत्यादि कार्यों हेतु ऋण के रूप में वांछित धनराशि के सापेक्ष रू0 17.01,00,000.00 (रू0 सत्रह करोड़ एक लाख मात्र) की धनराशि को व्यय हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन आपके निवर्तन में रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

1– कार्य प्रारम्भ करने से पहले कार्यों का विस्तृत आगणन, कार्यों का विस्तृत विवरण, समयबद्ध समय सारिणी, लागत, लाभान्वित होने वाले क्षेत्र का विस्तृत विवरण शासन को भी उपलब्ध करा दिया जायेगा तथा कार्य पूर्ण होने पर उक्त बिन्दुओं पर वास्तविक विवरण भी शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय एवं कार्यों का क्रियान्वयन परियोजना मोड में यथोचित बारचार्ट/पर्ट चार्ट आदि पूर्व में निश्चित कर किया जायेगा।

2– उक्त स्वीकृति के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों की जानकारी क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधियों, मुख्य विकास अधिकारी, जिलाधिकारी, आयुक्त, सम्बंधित ग्राम प्रधानों को कार्य कराने से पूर्व व बाद में उपलब्ध कराया जायेगा तथा यथोचित माध्यम से प्रचार–प्रसार भी किया जायेगा।

3– स्वीकृत की जा रही धनराशि केवल उक्त कार्यों एवं उद्देश्य हेतु ही व्यय की जायेगी।

4– स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा हस्ताक्षरित एवं जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षर उपरान्त कोषागार, देहरादून में प्रस्तुत कर किया जायेगा।

5– व्यय करने से पूर्व योजनाओं पर बजट मैनुअल, फाईनेन्सियल हैण्डबुक स्टोर पर्चेज तथा शासन के मितव्ययता के विषय में आदेश व तद्‌विषयक आदेशों का अनुपालन किया जायेगा। उपकरणों आदि का क्रय डी0जी0एस0 एण्ड डी0 अथवा टेण्डर/कुटेशन विषयक नियमों का अनुपालन करते हुये किया जायेगा।

6– कार्यों पर व्यय करने से पूर्व इनके विस्तृत आगणन पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति शासन एवं सक्षम अधिकारी से अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

7– स्वीकृत कार्यों की कम्प्यूटरीकृत सूची शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

8– आवश्यक सामग्री का क्रय सम्बन्धित फर्म से प्राप्त सामग्री की जाँच के उपरान्त ही किया जायेगा एवं इस हेतु सक्षम अधिकारी को अधिकृत किया जायेगा, जो इस हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

9– ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु नाबार्ड द्वारा ऋण रू0 6.5% की दर निर्धारित है। इस ऋण पर भी ब्याज की दर 6.5% निर्धारित की जाती है तथा विलम्ब की दशा में 1.0% अतिरिक्त विलम्ब शुल्क देय होगा। मूलधन की वापसी 10 वार्षिक किश्तों में (ब्याज सहित) माह अप्रैल, 2008 से प्रारम्भ होगा।

10– प्रत्येक ऋण आहरण की सूचना महालेखाकार, उत्तराखण्ड को शासनादेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, वाउचर संख्या, निधि लेखाशीर्षक सूचित करते हुये भेजेंगे।

2

11– उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 जब भी किश्तों का भुगतान करें ब्याज भी अवश्य जमा करें एवं महालेखाकार कार्यालय एवं शासन के ऊर्जा सैल को निम्न बिन्दुओं पर सूचना भेजे–

1– कोषागार का नाम, 2– चालान स0, 3– जमा धनराशि, किश्त, ब्याज, 4– शासनादेश संख्या और एस0एल0आर0 का संदर्भ, 5– लेखाशीर्षक जिसके अन्तर्गत जमा की धनराशि ब्याज।

12– ऋण प्राप्तकर्ता द्वारा आहरण के प्रत्येक वर्ष पर अपने लेखों का मिलान महालेखाकार कार्यालय के लेखे से अवश्य करें तथा शासन को मिलान की सूचना उपलब्ध कराई जाय तथा किश्तों के भुगतान का मिलान शासन से भी करा लें।

13– भविष्य मे ऋण तभी स्वीकृत किया जायेगा जब यह सुनिश्चित हो जाय कि ऋणी संस्था इस प्रकार के वार्षिक लेखों का मिलान महालेखाकार कार्यालय से करा लिया है ताकि अवशेष ऋण की स्थिति शासन को स्पष्ट रहे और ऋण संस्था महालेखाकार से इस आशय का प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दे।

14– स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार एवं शासन को दिनांक 31.03.2008 तक अवश्य उपलब्ध करा दिया जायेगा। योजना का मासिक रुप से व्यय विवरण शासन को प्रेषित कर दिया जायेगा।

15– स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण कर पी0एल0ए0 मे रखी जायेगी जिसका आहरण आवश्यकता एवं कार्य की प्रगति के आधार पर तीन किश्तों मे किया जाएगा। प्रथम किश्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर ही दूसरी किश्त का आहरण किया जाएगा। इसी प्रकार तीसरी किश्त का आहरण भी द्वितीय किश्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर किया जायेगा। मासिक रुप से योजना की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण शासन को प्रस्तुत की जायेगी।

16– इस धनराशि से सर्वप्रथम गत वर्ष मे 80 प्रतिशत किए गये कार्यो को पूर्ण किया जाएगा।

17– अवमुक्त की जा रही धनराशि का शासन को प्रस्तुत प्रस्ताव मे निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के लक्ष्य अनुसार व्यय किया जायेगा।

18– स्वीकृत धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2007–2008 के आय–व्ययक के अनुदान स0 21 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 6801–बिजली परियोजनाओं के लिये कर्ज–05–पारेषण एवं वितरण–आयोजनागत–190–सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों मे निवेश–03–उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 को ऋण–00–30–निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय स0 321/XXVII(2)/2007, दिनांक 23 अगस्त, 2007 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सी0 भास्कर)
अपर सचिव

संख्या: 951/I(2)/2007-06(1)/33/06, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
2– निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3– जिलाधिकारी, देहरादून।
4– कोषाधिकारी, देहरादून।
5– वित्त अनुभाग–2
6– नियोजन विभाग।
7– सचिव, मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाने हेतु।
8– प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
9– विशेष सैल, ऊर्जा।
10– गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(एम0एम0 सेमवाल)
अनु सचिव